न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **307/2017** दायर दिनाँक **06.11.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. नोलाराम पुत्र नारायणराम, उम्र–56साल, जाति–जाट, निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. लालाराम पुत्र भूराराम, उम्र–52साल, 2. रामकरण पुत्र नारायणराम, उम्र–47साल, 3. इसराराम पुत्र उगमाराम, उम्र–80साल, 4. गुमानाराम पुत्र उगमाराम, उम्र–78साल, 5. भोमाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र–42साल, समस्त,जाति–निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एक ही परिवार से है तथा खसरा नम्बर 16 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 101 रकबा 39.18 बीघा वाकै शरहद पायली हल्का पटवारी सुदरासन में स्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति की भूमि वाकै शरहद पायली के उपर्युक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 02 दौनों सगे भाई है जिनके उक्त खसरा नम्बर 16 में रकबा 08.01 बीघा भूमि मौके पर बन्ट में आई हुई है जो मौके पर कब्जाकाश्त करते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 को खसरा नम्बर 101 व 100 में बन्ट आया हुआ है तथ उक्त खसरा नम्बर 16 में प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 का कोई हक व कब्जाकाश्त नहीं है इसलिए इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्यक दर्ज है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में भी उपर्युक्त खसरान् की भूमि में काबिज काश्त है, जो कि निम्नानुसार है:–

1. **वादी नोलाराम व प्रतिवादी संख्या 02 रामकरण के बन्ट में आई भूमि–**

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - not official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 08.01 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

2. **प्रतिवादी संख्या 01 लालाराम के बन्ट में आई भूमि–**

खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 08.01 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को दूसरा खेत बन्ट में दे दिया गया है जिनके खसरा नम्बर 100 व 101 हैं। इसलिए उपर्युक्त खसरान् की भूमि में उनका हिस्सा नहीं बनता है।

वादी अपने बन्ट की उपर्युक्त भूमि में कदीम से काश्त करते आये है। दिनाँक 03.11.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी कि हम उक्त खसरा नम्बर की भूमि का बैचाण किसी भू–माफिया को कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के बन्ट व हिस्से की भूमि का बैचाण बिना बन्टवारा कराए किसी बाहरी व्यक्ति या भू–माफिया को कर दिया तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी, इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

तहसीलदार डीडवाना लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पक्षकार बनाये गये है। यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है, आपसी भाई बन्टवारे का विवाद होने से दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना नहीं है।

बिनाय दावा दिनाँक 03.11.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनाँक 03.11.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है। दावा अवधि भीतर है।

प्रार्थना वादी है कि–

वादग्रस्त भूमि शरहद पायली में खसरा नम्बर 16 की भूमि का बन्टवारा नजरीनक्शा अनुसार बन्टअनुसार खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जावे:–

1. **वादी नोलाराम व प्रतिवादी संख्या 02 रामकरण के बन्ट में आई भूमि–**

खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 08.01 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

2. **प्रतिवादी संख्या 01 लालाराम के बन्ट में आई भूमि–**

खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 08.01 बीघा भूमि बन्ट में रखी गयी है।

प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 को दूसरा खेत खसरा नम्बर 100 व 101 बन्ट में दे दिया गया है, इसलिए इनका हिस्सा उक्त खेत में नहीं बनता है। उक्त खसरा के राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम हटाया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 06 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–307 / 2017
दायर दिनाँक 06.11.2017, निर्णय दिनाँक 13.11.2017
नोलाराम बनाम लालाराम, वगैरा।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 व 05 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 व 05 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार–

मौजा शरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 08.01 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के व रकबा 08.01 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के घोषित की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 के नाम उक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', जमाबन्दी ग्राम सुद्रासन सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 199 / 176 की प्रतिलिपि, जमावन्दी ग्राम सुद्रासन सम्वत् 2068–2071 खेवट संख्या 95 / 87 की प्रतिलिपि, नोलाराम का आधार क्रमांक 614648681059 की छायाप्रति, भोमाराम का आधार क्रमांक 332240255904 की छायाप्रति, गुमानाराम का आधार क्रमांक 317749211590 की छायाप्रति, प्रभातीदेवी का आधार क्रमांक 784691275031 की छायाप्रति, लालाराम का आधार क्रमांक 557771331798 की छायाप्रति व ईशवरराम का आधार क्रमांक 766482293695 की छायाप्रति, है।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद पायली पटवार क्षेत्र सुद्रासन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूँवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसार कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. रकबा 08.01 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 08.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–307 / 2017
दायर दिनाँक 06.11.2017, निणर्य दिनाँक 13.11.2017
नोलाराम बनाम लालाराम, वगैरा।

उपर्युक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से, प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 307/2017 दायर दिनाँक 06.11.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. नोलाराम पुत्र नारायणराम, उम्र–56साल, जाति–जाट, निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लालाराम पुत्र भूराराम, उम्र–52साल, 2. रामकरण पुत्र नारायणराम, उम्र–47साल, 3. इसराराम पुत्र उगमाराम, उम्र–80साल, 4. गुमानाराम पुत्र उगमाराम, उम्र–78साल, 5. भोमाराम पुत्र अर्जुनराम, उम्र–42साल, समस्त,जाति–निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 13.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 ता 05 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद पायली पटवार क्षेत्र सुद्रासन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नूँवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 16 रकबा 16.02 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नजरीनक्शा अनुसार कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. रकबा 08.01 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 08.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से, प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner